मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः **30.03.2025**

थाना को0कटरा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग से संबंधित एक नफ़र अभियुक्त/फर्जी डायरेक्टर गिरफ्तार

थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 13.03.2025 को लक्ष्मीकान्त मिश्रा द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध फर्जी कम्पनी बनाकर पैसों पर अच्छा व्याज देने का लालच देकर खाते में पैसा जमाकर वादी का पैसा लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। जिसके आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-66/2025 धारा 420,120बी भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई विवचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर पाया गया की संबंधितअभियुक्तों द्वारा विभिन्न नामों से कम्पनी बनाकर स्थानीय लोगों के करीब 3.5 करोड रूपये का धोखाधड़ी कर गबन किया गया है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उक्त घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना प्रभारी को0कटरा को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांकः 30.03.2025 को निरीक्षक बुद्धिसागर यादव मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना को0कटरा क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त बब्लु भारती पुत्र कैलाशनाथ भारती निवासी पडरा हनुमान थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को अंतर्गत धारा 420,120बी,467,468,471 भादवि में गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है ।

पूँछ ताँछ विवरण-

अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि इन लोगों ने मिलकर फर्जी कम्पनी बनाकर आस पास के लोगों को एजेन्ट बनाकर क्षेत्र के भोली भाली जनता से उनकी गाढ़ी कमाई के रुपये ब्याज का लालच दिलाकर कम्पनी में जमा कराकर सुनियोजित तरीके से कम्पनी को बन्द करके भाग गये। तथा जनता का जमा किया धन आपस में बांट लिये।

गिरफ्तारी टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह
2. निरीक्षक बुद्धिसागर यादव मय पुलिस टीम थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय –

दिनांक 30.03.2025 समय 11.00 स्थान – हनुमान पड़रा

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0-66/2025 धारा 420,120बी,467,468,471 भादवि